भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3129

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजा

3129. श्री अमरा राम:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन और कई 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के वर्तमान निर्माण को देखते हुए, सरकार का 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013' के अंतर्गत भूमि, फलदार वृक्षों, खेजड़ी के वृक्षों और अन्य संरचनाओं के लिए मुआवजा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो राजस्थान सहित देशभर में बिजली ग्रिड कंपनियों द्वारा अब तक किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मुआवजे का निपटान कब तक कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क), (ख) एवं (ग): विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मार्ग का अधिकार (RoW) के लिए मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024 के साथ दिनांक 21.03.2025 और 15.12.2025 के अनुवर्ती संशोधनों के दिशानिर्देश जारी किए हैं। चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों के पास या तो केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से अपनाने अथवा अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करने का विवेकाधिकार है तदनुसार, ट्रांसमिशन परियोजनाओं को लागू करते समय, ज़िला अधिकारियों द्वारा तय किए गए मुआवज़े में शामिल भूमि की कीमत में कमी, फ़सल की क्षति, और संरचनाओं तथा वृक्षों के लिए मुआवज़ा राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होता है। तथापि, आरओडब्ल्यू मुआवजे, फसल मुआवजे और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में 132kV और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए मार्ग का अधिकार (RoW) के संबंध में जिला स्तर समिति (DLC) दर पर मुआवजा भुगतान के संबंध में नीति जारी की है, जो दिनांक 08.11.2024 को प्रकाशित की गई है और संशोधित नीति दिनांक 05.08.2025 को (400kV वोल्टेज स्तर और उससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए) प्रकाशित की गई। यह नीति पावरग्रिड/अन्य केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और राज्य में 132 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कर रही सभी निजी संस्थाओं पर लागू है।

देश भर में पावर ग्रिड कंपनियों द्वारा किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का जिला-वार ब्यौरा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****